e-mail- nachiketacollegejbp@gmail.com

दूरभाष क्र. 0761-4085058

कार्यालय रजिस्ट्रार

नचिकेता कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी

कचनार सिटी रोड, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा स्थायी संबद्धता प्राप्त)

(मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त)

स्थापना वर्ष 2005

क्र./कार्या.रजि./559

दिनांक : 21/01/2021

अधिसूचना

एतद् द्वारा सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 890/सी.सी./2020/38 भोपाल दिनांक 23.12.2020 एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/अका/2021/5547 जबलपुर दिनांक 19.01.2021 के आधार पर प्राप्त दिशा निर्देशानुसार महाविद्यालय में कक्षाओं का संचालन आरंभ किया जाना है। कोविड–19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है। अग्रणी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। अतः सभी विभागाध्यक्ष व प्रभारीगण निम्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। यथाः–

1. विद्यार्थियों के अभिभावकों/स्वयं की भौतिक उपस्थिति हेतु सहमति पत्र प्राप्त कर संधारित करना अनिवार्य होगा।
2. विभागों एवं विद्यार्थियों के बैचों के लिये पूरी तरह रोस्टर के साथ चरणबद्ध तरीके से विवरण तैयार किया जाऐ।
3. शिक्षको, अधिकारियो, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को पहचान पत्र (ID) पहनना अनिवार्य हो।
4. कक्षाओं के चरणबद्ध तरीके से चालू किये जाने के संबंध में सप्ताह में 06 दिवसीय शेड्यूल का पालन किया जाए तथा बैठने की व्यवस्था शारीरिक दूरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये बनाया जाए।
5. कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर कक्षाओं को कई समूह (बैच) में विभाजित करते हुये शारीरिक दूरी का पालन किया जाए।
6. कक्षाओं में उपलब्धता के आधार पर कक्षाओं में भाग लेने के लिये 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को कक्षाओं के रोटेशन के आधार पर अनुमति दी जाये।
7. परिसर में आंगतुकों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जाये।
8. प्रयोगशाला में अधिकतम क्षमता से कम करते हुये पुनः निर्धारण किया जाये।
9. प्रवेश करते समय भौतिक दूरी को अपनाते हुये थर्मल स्क्रीनिंग तथा हैण्ड सेनिटाईज किया जाये।
10. कोविड–19 के बारे में निवारक उपायों संबंधी पोस्टर्स/स्टैंडीज प्रदर्शित की जावे।
11. शिक्षक कक्षों एवं प्रयोगशाला में कुर्सियों, डेस्क आदि के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुये बैठक व्यवस्था की जाये।
12. कक्षाओं में भौतिक दूरी के साथ पर्याप्त समय के लिये अलग–अलग स्लॉट में कक्षाओं की गतिविधियाँ हों ।

mail- nachiketacollegejbp@gmail.com

दूरभाष क्रं. 0761-4085058

कार्यालय रजिस्ट्रार

नचिकेता कॉलेज ऑफ कम्प्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी

कचनार सिटी रोड, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.)

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा स्थायी संबंद्धता प्राप्त)

(मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा मान्यता प्राप्त)

स्थापना वर्ष 2005

13. शिक्षक यह सुनिश्चित करेंगे की शिक्षण गतिविधियों के संचालन के दोरान वे स्वयं और विद्यार्थी मास्क पहने रहेंगे।
14. शैक्षणिक कार्य हेतु नियमित कक्षा तथा ऑनलाइन कक्षा का मिश्रण होना चाहिए।
15. विद्यार्थियों के बीच नोटबुक, स्टेशनरी, लेपटाप, पानी की बोटल आदि का साझा करने की अनुमति नहीं होगी।
16. प्रयोगशाला उपकरणों को कीटाणुरहित किया जाए। विशेष रूप से अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहो को प्रत्येक उपयोग के पहले और बाद सेनेटाइज किया जाए।
17. लैब मे उपकरण पर काम करने प्रति व्यक्ति 4 वर्गमीटर का फर्श क्षेत्र सुनिश्चित करें।
18. महाविद्यालय में जिन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ नहीं हो पाया है उन्हे 25.01.2021 से आरंभ करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य
नचिकेता महाविद्यालय

Dr. Smt. P. CHANDRA
Principal
Nachiketa College of Computer Science
Commerce & Advanced Technology
Vijay Nagar, Jabalpur (M.P.)

अधि.क्र. / 559-अ / कार्या.रजि. / जबलपुर दिनांक 21.01.2021

प्रतिलिपि-

1. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी शिक्षण विभाग, नचिकेता महाविद्यालय ।
2. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ, नचिकेता महाविद्यालय ।
3. सचिव, स्टाफ कांउसिल, नचिकेता महाविद्यालय।
4. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, नचिकेता महाविद्यालय।
5. कीडाधिकारी, नचिकेता महाविद्यालय ।
6. वेबसाइट प्रभारी, नचिकेता महाविद्यालय।
7. ग्रंथपाल, नचिकेता महाविद्यालय।
8. कार्यालय अधीक्षक, नचिकेता महाविद्यालय।
9. कार्यालय प्रभारी, नचिकेता महाविद्यालय।

रजिस्ट्रार
नचिकेता महाविद्यालय

21/01/2021

R. S. CHANDEL
Registrar
Nachiketa College of Computer Science
Commerce & Advanced Technology
Vijay Nagar, Jabalpur (M.P.)